



2026:AHC:7877

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - ए संख्या - 201 का 2026**

धर्म नारायण द्विवेदी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आयशा अंसारी, अर्चना देवी, कौशल किशोर,  
शशि किरण सिंह जादौन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें प्रार्थना है कि (i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जिसमें प्रतिवादी गणों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिवादी गणों को निर्देश दें कि वे मुख्य वन संरक्षक (अराजपत्रित) उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/08/22 के अनुपालन में विधि के अनुसार याचिकाकर्ता की वरिष्ठता और पदोन्नति के परीक्षण में पहले के पत्र और संदर्भ पत्रों की परीक्षण करें; (ii) कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करना, जैसा कि यह माननीय न्यायालय के मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, जैसा कि यह माननीय न्यायालय के मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे; (iii) इस याचिकाकर्ता को

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



याचिका की लागत प्रदान करें, अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण बेहतर विवरण के साथ नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

4. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट "ए" के रूप में चिह्नित किया जाता है

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

जनवरी 13, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।